

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा।

क्रमांक: स्था0/01/2024/ 26890-930

दिनांक: 16/10/24

**विषय:- श्री रमेश कुमार, उप श्रम आयुक्त-1, गुरुग्राम के हक में बेबाकी प्रमाण जारी करने बारे।**

.....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सादर सूचित किया जाता है कि श्री रमेश कुमार, उप श्रम आयुक्त-1, गुरुग्राम को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत दिनांक 31.10.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। अधिकारी के पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। आप इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर-2 सूचित करें कि अधिकारी के विरुद्ध आपके कार्यालय का कुछ बकाया तो नहीं है।

यदि निर्धारित समय में आपकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो यह समझ लिया जाएगा कि अधिकारी की ओर आपके कार्यालय का कुछ बकाया नहीं है और उनके पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा तथा भविष्य में यदि कोई बकाया पाया जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष जिम्मेवार होंगे।

9 सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।